



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 686]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 28, 2016/आश्विन 6, 1938

No. 686]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 28, 2016/ ASVINA 6, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2016

सं. 47/2016- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै. टै.)

सा.का.नि. 926 (अ).- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 2 के उपवाक्य (ख), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली के नियम 3 के उपनियम (1) के साथ पठित के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 30/2014-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै. टै.), दिनांक 14 अक्टूबर, 2014, जिसे सा.का.नि. 724 (अ) दिनांक 14 अक्टूबर, 2014 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, (4) में, क्रम सं. 1 से 7 के समक्ष निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा-

“लेखा परीक्षा, कारण बताओं नोटिसों का जारी किया जाना और न्याय निर्णयन”

[फा. सं. 267/40/2016-सीएक्स 8]

शंकर प्रसाद शर्मा, अवर सचिव

नोट:- प्रधान अधिसूचना सं. 30/2014-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टै.) दिनांक 14 अक्टूबर, 2014 को सा.का.नि. 724(अ) दिनांक 14 अक्टूबर, 2014 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3 उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 2016

No. 47/2016 - Central Excise (N.T.)

G.S.R. 926(E).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of section 2 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), read with sub-rule (1) of rule 3 of the Central Excise Rules, 2002, the Central Board of Excise and Customs, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 30/2014-Central Excise (N.T.) dated the 14th October, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 724 (E) dated, the 14th October, 2014, namely:-

In the said notification, in the TABLE, in column (4), for the entries, against serial number 1 to 7, the following entries shall be substituted, namely:-

“Audit, issue of Show Cause Notice and Adjudication”.

[F. No. 267/40/2016-CX.8]
SHANKAR PRASAD SARMA, Under Secy.

Note: - The principal notification No. 30/2014-Central Excise (N.T.), dated the 14th October, 2014 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-Section (i) *vide* number G.S.R. 724 (E), dated the 14th October, 2014.

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2016

सं. 44/2016-सेवा कर

सा.का.नि. 927 (अ).— वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 83क के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 30/2005-सेवा कर, दिनांक 10 अगस्त, 2005, जिसे सा.का.नि. 527 (अ), दिनांक 10 अगस्त, 2005 के द्वारा प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-